न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 17/138

गोविन्द लाल पुत्र श्री रूपा आयु 65 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम जालखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

--अपीलान्ट

बनाम

1. बजरंग लाल आयु 70 वर्ष पुत्र स्व0 रूपा जाति माली निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. बाबूलाल पुत्र श्री नन्दलाल आयु 55 वर्ष निवासी मकान नम्बर 04, शिव कुटीर अम्बेडकर कोलोनी, कुन्हाडी कोटा ।
3. धन्ना पुत्र नन्दलाल आयु 50 वर्ष निवासी नदीपार शमशान घाट के पास कैथून जिला कोटा ।
4. रामलीला बाई पत्नी हेमराज जाति माली आयु 45 वर्ष ।
5. दीपेश कुमारी पुत्री हेमराज जाति माली आयु 20 वर्ष ।
6. पिंकी कुमारी पुत्री हेमराज जाति माली आयु 18 वर्ष ।
7. रेखा कुमारी पुत्री हेमराज जाति माली आयु 15 वर्ष ।
8. भुवनेश्वरी पुत्री हेमराज जाति माली आयु 13 वर्ष ।
9. सतीश कुमार पुत्र हेमराज जाति माली आयु 10 वर्ष निवासीगण अहीरवाडा वार्ड नम्बर 19, कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

--रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 17/142

धन्ना लाल आत्मज श्री नन्दलाल जाति माली निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

--अपीलान्ट

बनाम

1. गोविन्द लाल आत्मज श्री रूपा जाति माली ।
2. बाबूलाल पुत्र श्री नन्दलाल आयु 55 वर्ष निवासी मकान नम्बर 04, शिव कुटीर अम्बेडकर कोलोनी, कुन्हाडी कोटा ।

3. रामलीला बाई पत्नी हेमराज जाति माली आयु 45 वर्ष ।
4. दीपेश कुमारी पुत्री हेमराज जाति माली आयु 20 वर्ष ।
5. पिंकी कुमारी पुत्री हेमराज जाति माली आयु 18 वर्ष ।
6. रेखा कुमारी पुत्री हेमराज जाति माली आयु 15 वर्ष ।
7. भुवनेश्वरी पुत्री हेमराज जाति माली आयु 13 वर्ष ।
8. सतीश कुमार पुत्र हेमराज जाति माली आयु 10 वर्ष निवासीगण अहीरवाडा वार्ड नम्बर 19, कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. बजरंग लाल आयु 70 वर्ष पुत्र स्व0 रूपा जाति माली निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा । ——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री मनोज तिवारी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 17/138 में एवं अपील संख्या 17/142 में रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
2. श्री अशोक कुमार मीणा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 17/142 में ।
3. श्री ललित नागर, अभिभाषक, अपील संख्या 17/142 में रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से एवं 17/138 में रेस्पोडेन्ट कम 2 से 10 की ओर से ।

दिनांक: 25.04.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।
2. उक्त दोनों अपीलों एक ही अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री के विरूद्ध होने तथा समान पक्षकारान होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग संलग्न किया जावे ।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं वादी गोविन्द लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चैनपुरा तहसील लाडपुरा में पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 22 की 38 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । वादग्रस्त आराजी का गॉववालों एवं पक्षकारान के रिश्तेदारों ने आपसी बंटवारा कर दिया था उसके मुताबिक ही पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । प्रतिवादी वादी को उसके कब्जे काश्त की भूमि पर से उसके कब्जे से बेदखल करने का आमादा है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
4. अतः वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे तथा वादी को उसके कब्जे व आपसी सहमति से काबिज भूमि दक्षिण वाली हिस्से में दी जावे ।

वादी ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2017 के द्वारा वादी का वाद एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम दोनों स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की डिक्री पारित की ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2017 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने अलग–अलग अपीलें प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपील संख्या 17/138 में अपीलान्ट गोविन्द लाल के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट के पिता श्री रूपा जी के नाम से कैथून की कुल 0.90 हैक्टर भूमि दर्ज थी । रूपा जी का देहान्त दिनांक 11.11.71 को होने के पश्चात् सम्पूर्ण आराजी का विभाजन तीन भागो में होना चाहिए था क्योंकि श्री रूपा जी उपरोक्त वर्णित आराजी में से छोटूलाल को 02 बीघा 01 बिस्वा अलग से दे दी थी , शेष आराजी विभाजन गोविन्द, बजरंग व नन्दलाल के बीच ही होना चाहिए था । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से विभाजन का आदेश दिया है पूर्व में इस आराजी का खाता नम्बर 229 की 05 किता की 07 बीघा 14 बिस्वा की कुल आराजी थी इसमें से 02 बीघा 01 बिस्वा की रजिस्ट्री रूपा जी ने छोटूलाल के नाम कर दी थी इसलिए शेष आराजी 05 बीघा 13 बिस्वा में छोटूलाल या उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त करने का कोई हक नहीं है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने छोटू के उत्तराधिकारियों बलराम, राधेश्याम, बनवारी और दयाकंवर को भी हिस्सेदारी देकर कानूनी व तथ्यात्मक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम चेनपुरा की आराजी का भी गलत विभाजन किया है पूर्व में यह सम्पूर्ण आराजी 21 बीघा 01 बिस्वा थी इसमें से 11 बीघा की रजिस्ट्री छोटू के नाम करवायी तथा आराजी की रजिस्ट्री करवा दी थी शेष आराजी में छोटू या उसके वारिसान को कोई भी हिस्सा प्राप्त करने का हक नहीं है । कुल किता 03 की रकबा 1.56 हैक्टर भूमि का विभाजन भी गोवन्दि, बजरंग व नन्दलाल के बीच होना चाहिए । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 29.04.89 के विरूद्ध एक अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसे रिमाण्ड किया था और निर्देशित किया था कि समस्त सहखातेदारान का अलग–अलग हिस्सा घोषित किया जावे । इस प्रकार सहखातेदार रिकॉर्ड पर लिये गये परन्तु उनकी ओर से कोई साक्ष्य आदि पेश नहीं की गई । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट संख्या 17/138 स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. अपील संख्या 17/142 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि कानूनन किसी वाद का अंतिम रूप से निर्णय होने पर वादग्रस्त आराजी पर यदि कोई रिसीवर कायम किया गया है तो उक्त अंतिम निर्णय में रिसीवर समापत किये जाने एवं दौराने वाद जमा हुई रिसीवरी राशि सभी सहखातेदारान को उनके हिस्से अनुसार लौटाये जाने के एंव सभी सहखातेदारान को ही कब्जा सुपुर्द करने के आदेश दिये जाने के आज्ञापक प्रावधान है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एंव डिक्री में वाद का अंतिम रूप से निस्तारण कर रिसीवरी समाप्त किये जाने और रिसीवर राशि लौटाये जाने का आदेश पारित किया है किन्तु अपवने निर्णय में सभी सहखतोदारान को उनके हिस्से अनुसार

रिसीवरी राशि लौटाए जाने एवं सभी सहखातेदारान को कब्जा सुपुर्द किये जाने का स्पष्ट निर्णय पारित नहीं किया जिसके कारण ग्राम चैनपुरा की आराजी से रिसीवर समापत करते हुए सभी सहखातेदारान को उनके हिस्से अनुसार रिसीवरी राशि अदा किये जाने एवं सभी सहखातेदारान को कब्जा सुपुर्द किये जाने का आदेश देते हुए निर्णय किया जाना चाहिए था । प्रस्तुत प्रकरण में बलराम, राधेश्याम, बनवारी, दयाकुवर पिसरान छोटेलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी से उनको सहखातेदार घोषित करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट संख्या 17/142 स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निर्णय एंव डिक्री दिनांक 11.02.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

11. दोनों अपीलों में रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में दोनों अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन किया । राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित है कि ग्राम चेनपुरा की आराजी वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है और वह अपनी भूमि का विधिवत विभाजन कराने के अधिकारी हैं । वादग्रस्त आराजी में बलराम, राधेश्याम, बवारी पिसरान छोटू व बेवा दयाकंवर वादग्रस्त आराजी में संयुक्त खातेदार नहीं है इसलिए उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है । काउन्टर क्लेम में सभी पक्षकारान हैं, काउन्टर क्लेम में अंकित भूमि में यह सब हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं । प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने अपना वाद साबित किया है और वह अपने हिस्से का विधिवत विभाजन कराने के अधिकारी हैं इसी प्रकार प्रतिवादी जिन्होंने काउन्टर क्लेम पेश किया है वह काउन्टर क्लेम के आधार पर अपना–अपना हिस्सा पृथक–पृथक प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

13. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार विधिक किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते है।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 17/138 एवं अपील संख्या 17/142 दोनों खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 11.02.2017 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 25.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17 / 138

गोविन्द लाल पुत्र श्री रूपा आयु 65 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम जालखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलाथी

बनाम

1. बजरंग लाल आयु 70 वर्ष पुत्र स्व0 रूपा जाति माली निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. बाबूलाल पुत्र श्री नन्दलाल आयु 55 वर्ष निवासी मकान नम्बर 04, शिव कुटीर अम्बेडकर कोलोनी, कुन्हाडी कोटा ।
3. धन्ना पुत्र नन्दलाल आयु 50 वर्ष निवासी नदीपार शमशान घाट के पास कैथून जिला कोटा ।
4. रामलीला बाई पत्नी हेमराज जाति माली आयु 45 वर्ष ।
5. दीपेश कुमारी पुत्री हेमराज जाति माली आयु 20 वर्ष ।
6. पिंकी कुमारी पुत्री हेमराज जाति माली आयु 18 वर्ष ।
7. रेखा कुमारी पुत्री हेमराज जाति माली आयु 15 वर्ष ।
8. भुवनेश्वरी पुत्री हेमराज जाति माली आयु 13 वर्ष ।
9. सतीश कुमार पुत्र हेमराज जाति माली आयु 10 वर्ष निवासीगण अहीरवाडा वार्ड नम्बर 19, कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---प्रत्यर्थी

अपील संख्या : 17 / 142

धन्ना लाल आत्मज श्री नन्दलाल जाति माली निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

---अपीलाथी

बनाम

1. गोविन्द लाल आत्मज श्री रूपा जाति माली ।
2. बाबूलाल पुत्र श्री नन्दलाल आयु 55 वर्ष निवासी मकान नम्बर 04, शिव कुटीर अम्बेडकर कोलोनी, कुन्हाडी कोटा ।
3. रामलीला बाई पत्नी हेमराज जाति माली आयु 45 वर्ष ।
4. दीपेश कुमारी पुत्री हेमराज जाति माली आयु 20 वर्ष ।
5. पिंकी कुमारी पुत्री हेमराज जाति माली आयु 18 वर्ष ।
6. रेखा कुमारी पुत्री हेमराज जाति माली आयु 15 वर्ष ।
7. भुवनेश्वरी पुत्री हेमराज जाति माली आयु 13 वर्ष ।
8. सतीश कुमार पुत्र हेमराज जाति माली आयु 10 वर्ष निवासीगण अहीरवाडा वार्ड नम्बर 19, कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. बजरंग लाल आयु 70 वर्ष पुत्र स्व0 रूपा जाति माली निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2017 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 46/दावा/2011

गोविन्द लाल पुत्र श्री रूपा आयु 65 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम जालखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. नन्दलाल आत्मज श्री रूपा जरिये कायममुकामान :—
   1/1. बाबूलाल आत्मज नन्दलाल ।
   1/2. धन्ना लाल आत्मज नन्दलाल ।

1/3. रामलीला बाई पत्नी हेमराज ।
1/4. दीपेश कुमारी पुत्री हेमराज ।
1/5. पिंकी कुमारी पुत्री हेमराज ।
1/6. रेखा कुमारी पुत्री हेमराज ।
1/7. भुवनेश्वरी पुत्री हेमराज ।
1/8. सतीश कुमार पुत्र हेमराज जाति माली निवासीगण कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

2. बजरंग लाल आत्मज श्री रूपा जाति माली निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. सरकार जरिय तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा .के निर्णय एवं डिकी दिनांक 11.02.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 25.04.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री मनोज तिवारी अपील संख्या 17/138 में एवं अपील संख्या 17/142 में रेस्पोडेन्ट की ओर से एवं अभिभाषक श्री अशोक कुमार मीणा अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 17/142 में एवं श्री ललित नागर, अभिभाषक अपील संख्या 17/142 में रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से एवं अपील संख्या 17/138 में रेस्पोडेन्ट कम 2 से 10 की ओर से उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 17/138 एवं अपील संख्या 17/142 दोनों खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिकी दिनांक 11.02.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिकी आज तारीख 25.04.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा